अस का [illegible] पन्त एवं ब्राह्मणों को छोड़ [illegible] किया था। किन्तु अन्ततः देवराज की सूची में रखकर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। समस्त जातियों को 'पिछड़ी जाति'

11.3 मण्डल आयोग की रिपोर्ट एवं पिछड़ा वर्ग आन्दोलन (Mandal Commission Report and Backward Class Movement)

अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान द्वारी दी गई थी, किन्तु अन्य पिछड़ी जातियों। वर्गों के लिए आरक्षण 7 अगस्त 1990 को जनता दल सरकार द्वारा घोषित किया गया। 27% स्थानों को 3,742 पिछड़ी जातियों और वर्गों के लिएं सुरक्षित किया गया। यह मण्डल आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में किया गया। आयोग ने 31 दिसम्बर, 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1982 में इस पर लोक सभा तथा राज्य सभा दोनों में ही चर्चा की गई थी। तत्पश्चात् यह प्रकरण परीक्षण हेतु सचिवों की एक समिति को भेज दिया गया था यह प्रकरण संसद के दोनों सदनों में कई बार विचारार्थ प्रस्तुत किया गया किन्तु कोई भी निर्णय न लिया जा सका।

मण्डल आयोग की सिफारिशों की अचानक घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह का राजनैतिक निर्णय कहा गया जो कि उन्होंने जाति और जाति सूचकों (Indicators) के चयन में आने वाली गति, तीव्रता, एवं औचित्य को प्रभावित किए बना ही यह निर्णय लिया था। मण्डल आयोग द्वारा विशिष्ट जातियों। वर्गों को पिछड़ा मानने की पहचान के लिए किस आधार (Criteria) को माना गया था? आयोग ने तीन सूचकों का प्रयोग किया था: सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक। सामाजिक सूचकों के चार आधार थे, शैक्षिक सूचकों के तीन तथा आर्थिक सूचकों के चार थे। इस प्रकार कुल ग्यारह सूचक थे। प्रत्येक सूचक को जो गुरुभार दिया गया वह मनमाना (Arbitrary) तथा विवेकहीन था। सामाजिक सूचकों को 3 अंकों का गुरुभार, शैक्षिक सूचकों को 2 अंकों का, तथा आर्थिक सूचकों को एक अंक का गुरुभार निर्धारित किया गया।

Scanned with CamScan

जिन जातियों को 50% अंक प्राप्त हुए, अर्थात् 11 अंक या ऊपर, उन्हें पिछड़ी जातियों की सूची में रखा गया। मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के निर्णय ने छात्रों में विस्तृत आक्रोश पैदा कर दिया। समूचे देश में आन्दोलन भड़क गए। बहुत से परिवारों को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लाभप्रद नौकरी प्राप्त करने की संभावनाएँ पहले से ही बहुत मन्द हैं क्योंकि देश में बेरोजगारी अत्यधिक है। बहुत से छात्र बेरोज़गारी या अर्द्ध रोजगार की संभावनाओं से डरे हुए रहते हैं।

अतः ऐसी स्थिति में सरकार का चुनावी निर्णय कि नौकरियों में 27.0% का अतिरिक्त आरक्षण निश्चय ही युवकों में कुण्ठा पैदा करने का यथेष्ट कारण था। इससे पूर्व भी न्यायमूर्ति एम. एस. बेग की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक आयोग ने मण्डल आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ी जातियों को मान्यता देने के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट में सावधान किया था। जब जनता दल सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की तो किसी भी राजनैतिक दल ने इसका खुला विरोध नहीं किया। दलों ने स्पष्ट रुख अपनाया यद्यपि अधिकतर दलों में जाति की अपेक्षा आर्थिक आधार के पक्ष में समर्थन दिया। केवल राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ही इस बात पर अड़ी रही कि मण्डल आयोग की सिफारिशें किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं की जायेंगी। सान्त्वना के रूप में इसने मण्डल आयोग द्वारा प्रस्तावित 27% आरक्षण के साथ आर्थिक आधार पर भी 5 से 10% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में प्रस्तावित किया।

यह भी एक सत्य है कि राष्ट्रीय मोर्चा मण्डल आयोग की रिपोर्ट के विषय पर आन्तरिक मतभेदों का सामना कर रहा था। मण्डल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने में सरकार के वास्तविक उद्देश्य को चुनौती देते हुए छात्र तोड़-फोड़, आन्दोलन, तथा आत्मदाह तक पर उतारु हो गए। 19 सितम्बर, 1990 (जबकि दिल्ली कॉलेज के एक छात्र का आत्मदाह का प्रकरण प्रथम बार सामने आया) से 16 अक्टूबर, 1990 की अवधि में 160 युवकों ने सरकारी घोषणा के विरुद्ध आत्मदाह का प्रयत्न किया। वे सभी 25 वर्ष से कम आयु के थे और उनमें से अधिकतर विद्यालय। विश्वविद्यालय के अध्ययनरत छात्र थे अथवा बेरोजगार युवक थे। उनमें से अधिकतर ने जनता के समक्ष आत्मदाह का प्रयत्न किया जबकि कुछ ने जहर खा लिया या चुपचाप आत्महत्या का अन्य साधन चुन लिया। देहली में ही 26 दिनों के भीतर 17 आत्मदाह के प्रयत्न किए गए और इसी प्रकार के प्रयत्न पंजाब में होशियारपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर व लखनऊ में, राजस्थान में कोटा में और बिहार में पटना में भी किए गए। ये सभी युवक व छात्र निम्न मध्यम वर्ग के ही थे।

मण्डल विरोधी लहर का गरीबों व धनी संभ्रान्त लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सभी आत्मदाह व आत्महत्या के मामलों ने छात्रों में अतिनाटकीय आत्महत्या पत्र छोड़े थे। कुछ छात्र कुछ स्थानों पर पुलिस गोली से मारे गए थे, अनेक घायल हो गए थे; जबकि हजारों की संख्या में पकड़े गए थे। छात्रों ने हजारों सरकारी वाहन फूँक डाले, निजी बसों, कारों व रेलों को क्षतिग्रस्त किया। यद्यपि सरकार द्वारा हानि के ठीक-ठीक आँकड़े कभी नहीं दिए गए, लेकिन अनुमान किया गया कि कुल हानि कई करोड़ों में हुई होगी। यह व्यवस्था के प्रति आक्रोश और कुण्ठा थी, उसने युवकों में निराशा को ही जन्म दिया कि शिक्षा उन्हें अच्छी नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी। वी. पी. सिंह व चन्द्र शेखर की सरकारों के पश्चात् जब 1991 में नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार केन्द्र में आयी तब इसने 25 सितम्बर,

Scanned with CamScanner

1991 को एक अधिसूचना जारी की कि केन्द्रीय सरकार की नागरिक सेवाओं (Civilian Jobs) के लिए प्रस्तावित 27% आरक्षण में से, (जो कि शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित थे) इन्हीं वर्गों में से 'गरीब वर्ग' को वरीयता दी जाएगी।

इस प्रकार 10% उनके लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था हो गई जो कि ऐसे आरक्षण के घेरे में नहीं आते थे। मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रकरण उच्चतम न्यायालय में भी ले जाए गए जिसने 15 नवम्बर, 1992 के अपने निर्णय में नौकरियों में आरक्षण की नीति का समर्थन किया और 27% आरक्षण के सरकारी निर्णय को यथावत रखा लेकिन नरसिंह राव सरकार के 10% अतिरिक्त आरक्षण के निर्णय को रद्द कर दिया।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रमुख विशेषताएँ निम्न थीं–

(1) आरक्षण के लाभार्थियों की पहचान के लिए जाति का आधार स्वीकार कर लिया गया। (2) आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% तक निर्धारित कर दी गई। (3) आरक्षण में से 'क्रीम वाली सतह' (Creamy Layer) निकाली जाने की सिफारिश की गयी। (4) कुछ तकनीकी स्थानों के लिए आरक्षण उचित नहीं माना गया। (5) केन्द्रीय सरकार को सामाजिक, आर्थिक आधार पर विशेष रूप से पिछड़े वर्ग में भी उन्नतिशील लोगों को बाहर करना होगा। (6) प्रोन्नति (Promotion) में कोई आरक्षण नहीं हो सकता। (7) कम व अधिक भर्ती की जाँच करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा स्थायी आयोगों का गठन करना चाहिए जो पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किए जाने के लिए दिये आवेदन पत्रों की भी जाँच करेगा।

ऐसी आशा की जाती थी कि उच्चतम न्यायालय मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर कुछ रोक लगायेगा, किन्तु वास्तव में न्यायालय के निर्णय ने पहले से ही जटिल समस्या को और भी अव्यवस्थित व जटिल बना दिया है। उच्चतम न्यायालय ने भावी दावेदारों तथा मुकदमेबाजों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही मण्डल फार्मूला को परिवर्तन करने के सरकारी प्रयत्नों की संभावना भी समाप्त कर दी है। ऐसी स्थिति में मण्डल आयोग की रिपोर्ट के पक्ष और विपक्ष में चर्चा करना अनुपयुक्त न होगा।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट के पक्ष में तर्क (Arguments in Favour of Mandal Commission Report)

मण्डल आयोग की सिफारिशों के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए–

1. इनसे समाज के उस वर्ग के संतोष के लिए संविधान द्वारा दिए गए आदेशों की पूर्ति होती है, जो लम्बे समय से असन्तुष्ट थे।
2. यह हमारा सामाजिक व नैतिक दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि समाज में दलित व पीड़ित वर्ग के लोग धनी व समृद्ध लोगों के बराबर हों। उन्हें विश्वास की आवश्यकता है।
3. आरक्षण केवल सरकारी सेवाओं के लिए होगा और इन सेवाओं में देश की कुल जनसंख्या का केवल 1% ही है। उस 1% के लिए भी पिछड़े वर्गों के लिए 27% का अतिरिक्त आरक्षण दे दिया गया है। इसलिए आरक्षण का लोगों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. आरक्षण के लिए सिफारिशें जाति के आधार पर नहीं हैं जैसा कि गलत विश्वास किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, बिहार में राजपूत इस सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं लेकिन गुजरात के राजपूत सम्मिलित हैं। बिहार के पटेल हैं जबकि गुजरात के पटेल सम्मिलित नहीं हैं; और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के यादव सूची में हैं, लेकिन हरियाणा के यादव सम्मिलित नहीं हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य में परिस्थिति के आधार पर सूची बनी है।

Scanned with CamScanner

5. पिछड़ी जातियों की राष्ट्रीय जनसंख्या (अनुसूचित जातियाँ सम्मिलित) जो कि 62% है, उसका वर्ग एक (Class 1) सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र सेवाओं में केवल 4% ही प्रतिनिधित्व है। यह कमजोर वर्गों के साथ सरासर अन्याय हैं जिसका निराकरण अत्यन्त आवश्यक है।

6. आरक्षण विरोधियों द्वारा एक और तर्क योग्यता के प्रश्न पर आधारित है। यहाँ इस बिन्दु पर उनकी मान्यता यह है कि योग्यता (Merit) उच्च जातियों में ही होती है तो उन्हीं को यह अनुमति होनी चाहिए कि वे ही नागरिक सेवाओं को संभालने एवं निम्न जातियों को सभ्य बनाने का भार वहन करें जैसा कि साम्राज्यवादी काल में माना जाता था। क्या यह तर्क न्यायसंगत और ठोस है? क्या भारत को स्वायत्त सरकार की अनुमति देने के पीछे अंग्रेजी शासन की उदासीनता का कारण इसी प्रकार के तर्क पर आधारित नहीं था? क्या हमने उसे स्वीकारा था? यदि उस समय इस तर्क को हमने भ्रामक होने की संज्ञा दी थी तब आज निम्न जातियों व वर्गों के विरुद्ध इसी प्रकार के तर्क किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं? तर्क और भी दिये जाते हैं कि इस देश में रोजगार केवल योग्यता के आधार पर दिया जाता है, तब क्या हमने निम्न जातियों को योग्यता प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए हैं? यदि हमारा राज्य प्रत्येक नागरिक को एक ही समान दर्जे पर रखता है और पिछड़े वर्ग को समान अवसरों से वंचित रखता है तो यह दलितों को दलित ही बनाए रखने के अतिरिक्त कुछ नहीं है? इन दलितों को आरक्षण देना हमारी अर्न्तमनन के लिए एक चुनौती है जिससे हममें से अधिकतर लोग बचते हैं या विरोध करते हैं।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध तर्क
(Arguments Against The Mandal Commission Report)

मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर विविध पक्षों द्वारा कटु आलोचनाएँ प्रस्तुत की गई हैं। पाँच प्रमुख तर्क निम्न के विरुद्ध थे:

1. पिछड़ी जाति। वर्ग को परिभाषित करने के आधार के विरुद्ध,
2. जनसंख्या के निरन्तर वृद्धि के मनमाने आँकड़ों के आधार पर बहुत पुराने आँकड़ों की सहायता से जनसंख्या को दर्शाने के विरुद्ध,
3. अन्य पिछड़ी जातियों। वर्गों की पहचान से संबंधित आँकड़ों की हेराफेरी,
4. एकत्रित आँकड़ों में त्रुटियों एवं निरपेक्ष निदर्शन (Sampling) प्रणाली के विरुद्ध,
5. पारिभाषिक विसंगतियों, विशेषकर जाति और वर्ग शब्दों के प्रयोग में त्रुटियों के विरुद्ध।

इन तर्कों का निम्न प्रकार से विस्तार किया जा सकता है–

1. पिछड़ेपन की परिभाषा केवल जाति के आधार पर की गई है। जाति प्रथा में निहित जाति पूर्वाग्रहों (Prejudices) एवं भेद भावों (Discriminations) को जारी रखने के उद्देश्य से यह किया गया। विशेष प्रावधान सभी गरीबों के लिए जाति भेदभाव के बिना केवल आर्थिक आधार पर किए जाने चाहिए। जाति आधार के अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने धर्म, आय, व्यवसाय तथा किसी स्थान में आवास के आधारों को भी पिछड़ेपन की पहचान के लिए प्रयोग करने पर बल दिया।

2. यद्यपि 'जाति' को परिभाषित करने में काफी कठिनाइयाँ आईं, 'वर्ग' की कोई परिभाषा नहीं की गई और समाजशास्त्रीय दृष्टि से जाति और वर्ग दो पृथक् श्रेणियाँ हैं।

Scanned with CamScanner

इसलिए मण्डल आयोग की रिपोर्ट में 'अन्य पिछड़ी जातियाँ' का प्रयोग किया गया है न कि 'अन्य पिछड़े वर्ग' का जैसा कि आवश्यकता थी।

अन्य पिछड़ी जातियों वर्गों की पहचान के लिए प्रयोग के आधार त्रुटिपूर्ण, सनकपन, व राजनीति से प्रेरित थे। यह विशुद्ध वैज्ञानिक विधि पर आधारित नहीं था। मण्डल आयोग ने जातियों। वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए जो ग्यारह सूचक लिये थे, वे एक अच्छे सूचक की प्रमुख विशेषताओं को सन्तुष्ट नहीं करते। उदाहरणार्थ, विवाह से संबंधित सामाजिक सूचक किसी जाति या वर्ग से नहीं बँधे हैं।

यह एक पुरानी सामाजिक बुराई है जो सभी जातियों और वर्गों में प्रचलित है। इसलिए किसी जाति या वर्ग में अन्तर करने के लिए इसको एक सूचक के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए था। महिलाओं की काम में भागीदारी से संबंधित सामाजिक सूचक को आर्थिक सूचक माना जा सकता है क्योंकि महिलाओं को अपने परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए काम करना पड़ता है और वह एक सामान्य प्रवृत्ति भी है कि महिलाएँ गाँवों में अपने परिवार को सहयोग करने की दृष्टि से कृषि कार्यों में लग जाती हैं और यह किसी जाति या वर्ग से संबंधित तथ्य नहीं है।

इसी प्रकार किसी व्यक्ति को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा तब मानना चाहिए था जब उसका पिता या पितामह में से कोई भी प्राइमरी स्तर से अधिक शिक्षा प्राप्त न कर सका हो। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना जाना था यदि वह तीन 'द्विज' वर्णों में से एक नहीं है, अर्थात् न तो वह ब्राह्मण है, न वैश्य और न क्षत्रिय है, या उसकी पैतृक आय गरीबी की सीमा रेखा से नीचे हो, अर्थात् 71 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह से कम हो। क्या यह सभी पूंछताछ विस्तृत रूप से की गई थी? साक्ष्य कोई संकेत नहीं करते।

सबसे खेदजनक पक्ष है आर्थिक सूचकों का चयन, जहाँ प्रति परिवार आय पूर्ण रूप से छोड़ दी गई है। पारिवारिक सम्पत्ति और ऋण उपभोग उनके व्यय की ओर संकेत करते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके परिवार बड़े हैं या छोटे वे ऋण लेकर भी सामाजिक परम्पराओं का निर्वाह करते हैं।

अंतिम आर्थिक सूचक पीने के पानी के प्रकरण को लिया जाता है जो कि किसी जाति या वर्ग से सम्बद्ध नहीं बल्कि बाहरी कारक से हैं। इस प्रकार क्योंकि पिछड़े वर्ग। जाति की पहिचान ठीक सूचकों पर आधारित नहीं है, अतः आरक्षण को विस्तृत करने के प्रयत्न स्वीकार्य नहीं हो सकते।

4. 'पिछड़े' वर्ग की परिभाषा व पहिचान वैज्ञानिक नहीं है। जहाँ मण्डल आयोग ने 3,742 वर्ग 'पिछड़े' रूप में पहिचाने थे, वहीं दूसरी ओर प्रथम पिछड़े वर्ग कालेलकर समिति ने 2000 के आसपास पिछड़े वर्गों की पहिचान की थी। अतः या तो कालेलकर समिति की पहिचान के आँकड़े गलत थे या अन्य समुदायों द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बाद में कोशिश प्रारम्भ कर दी गई और पिछड़े वर्ग में सम्मिलित होने के प्रयत्न होने लगे। एक अन्य निष्कर्ष यह भी हो सकता है कि कालेलकर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात् अच्छी संख्या में अन्य समुदाय "पिछड़े' बन गए। इसलिए राज्य सरकारों की सलाह इनकी पहिचान करने में आवश्यक थी। उदाहरणार्थ, जबकि केरल सरकार ने स्वयं 79 जातियों की 'पिछड़े' रूप में पहिचान की थी वहीं मण्डल आयोग ने 208 की सिफारिश की। इसी प्रकार उड़ीसा सरकार ने एक भी जाति को स्पष्ट रूप से पिछड़ी नहीं कहा वहीं मण्डल आयोग ने 224 की पहिचान की। इस प्रकार मण्डल आयोग नें राज्य सरकारों की सलाह लेना आवश्यक नहीं समझा।

Scanned with CamScanner

5. जनसंख्या के जाति वर्गीकरण के लिए प्रायोजना (Projection) 1931 की जनगणना पर आधारित थी। उस समय का भारत का आर्थिक, सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक मानचित्र बिल्कुल भिन्न था। जाति की पहिचान परम्परागत व्यवसाय के आधार पर होती थी। 1931 के पश्चात् जनगणना में जातियों की सूची बनाने का कार्य रोक दिया गया था और 1931 तथा 1990 के बीच औद्योगीकरण, नगरीकरण, शैक्षिक उन्नति, प्रव्रजन, और गतिशीलता की तीव्र वृद्धि के कारण अनेक परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार मण्डल आयोग के द्वारा 1980 में पुरानी जनगणना को आधार मानने के कारण बिल्कुल ही विकृत चित्र दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् हुए भूमि सुधारों ने विविध जातियों के सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति में प्रशंसनीय परिवर्तन हुआ है और वे ग्रामीण अभिजन (Elite) के एक अंग बन गए हैं। बिहार व उत्तर प्रदेश के कुर्मी व यादव इसके अच्छे उदाहरण हैं। कुछ राज्यों में गूजर, कोरी और लोढ़ आदि भी कृषि स्वामी बन गए हैं।

शहरी जनसंख्या 1931 में 12% से बढ़कर 1984 में 24% हो गई। नगरीय क्षेत्रों में आय का स्तर और व्यवसाय काफी हद तक सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, अपेक्षाकृत परम्परागत जाति संस्तरण में स्थिति के। कृषि अर्थ व्यवस्था से रचनात्मक औद्योगिक व्यवसायों में परिवर्तन अधिक महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं और ग्रामीण व्यवसायों में गिरावट आई है। अन्य पिछड़ी जातियों की 1980 में कुल संख्या का 52% के आलोक में आयोग ने इन परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा। 1990 में जब सरकार ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करके घोषणा करने का निर्णय लिया तब तक नगरीकरण में 40% की वृद्धि हो चुकी थी और जनसंख्या के व्यवसाय के आधार पर वितरण में और अधिक परिवर्तन हो चुके थे और 1931 की जनगणना पर आधारित स्थितियाँ और भी यथार्थ से परे हो गई थीं।

नगरीकरण तथा व्यावसायिक परिवर्तनों के साथ, उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी ठोस परिवर्तन हुए हैं; विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्रों की संख्या में वृद्धि 1951 में 103 लाख से 1978-79 में 36.75 लाख और 1991-92 में 53.43 लाख तक हो गई। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की संख्या में वृद्धि दर्शाती है कि पिछड़े वर्गों में छात्रवृत्ति अनुदान प्रदान करके उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है और यह विस्तार अत्यधिक उल्लेखनीय रहा है। 1990 में अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की कुल संख्या 3.96 लाख थी जबकि 1950-51 में 4000 थी। 1931 और 1990 के बीच के इन परिवर्तनों की उपेक्षा कैसे की जा सकती थी।

6. मण्डल आयोग द्वारा एक और धारणा (Assumption) यह थी कि गैर हिन्दुओं के बीच अन्य पिछड़ी जातियों व वर्गों का अनुपात वही था जो हिन्दुओं में था। गैर हिन्दू अन्य पिछड़ी जातियों का अनुपात 8.40% माना गया था जो कि उनकी वास्तविक जनसंख्या का 52.0% है। लेकिन आयोग द्वारा मानी गई रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या हिन्दू अन्य पिछड़ी जातियों में 43.70% है न कि 52.0% , 18.40% तथा 52.0% दोनों ही संख्याएँ मनमानी हैं। यह रिपोर्ट की मूलभूत पद्धतिशास्त्रीय त्रुटि है। 43.70% का आँकड़ा कैसे लिया गया? यह संख्या कुल हिन्दू जनसंख्या (83.84%) में से अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या (22.56%) तथा अन्य उन्नत हिन्दू समुदायों की संख्या जो कि 17.58% है घटाकर ली गई। इस विधि से जो आँकड़े प्राप्त हुए वे हैं 43.70% यह कार्यविधि संबंधी भ्रान्ति (Methodological Fallacy) है।

Scanned with CamScanner

7. सामाजिक-शैक्षिक क्षेत्र में प्रयुक्त निदर्शन (Sampling) सर्वेक्षण अत्यन्त त्रुटिपूर्ण था। इसमें दो गाँवों की चयन तथा प्रत्येक जिले से नगर ब्लाक का चयन सम्मिलित था। चयनित निदर्शन जो केवल जनसंख्या को आधार मानकर लिया गया हो उसकी वस्तुनिष्ठा शंकनीय है।

8. पिछड़ेपन के आधार के निर्धारण में आर्थिक आधार को महत्त्व दिया जाना अपर्याप्त था। जाति और वर्ग के वर्गीकरण के लिए मण्डल आयोग द्वारा निर्धारित 22 बिन्दुओं में से केवल 4 बिन्दु आर्थिक को मान्यता दिये बिना ही निश्चित किया गया था।

9. भारतीय संविधान ने 'पिछड़ा वर्ग' की परिभाषा नहीं दी है, लेकिन इसमें एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है जो पिछड़े वर्ग की दशाओं का अन्वेषण करे। किन्तु वह सरकार को आदेशित नहीं करता कि सरकार आयोग से पिछड़े वर्ग की पहिचान का कार्य भी करे। मण्डल आयोग के अध्यक्ष जो कि स्वयं पिछड़ी जाति के सदस्य थे और अपने राजनीतिक जीवन में अपने पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए प्रसिद्ध थे, ने सूचकों (Indicaters) की पहिचान करने की भूमिका तथा पिछड़ी जाति वर्ग की पहिचान करने की भूमिका में पक्षपातपूर्व रवैया अपनाया था। क्योंकि विस्तृत जाँच पड़ताल तथा सर्वेक्षण नहीं किया गया था और उचित आधार प्रयोग में नहीं लाया गया था, इसलिए जाति वर्ग के चयन के लिए मण्डल आयोग के आदेश का पालन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यहाँ तक कि आयोग ने भी स्वीकार किया है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से वर्गों का सूचीकरण (Listing) पिछड़े के रूप में मनमाना था और इसमें केवल मानने योग्य (Tenable) दृष्टिकोण का गुण रखता था और इससे अधिक कुछ नहीं।

10. जनसंख्या की लगातार वृद्धि की दर और प्रतिशत किस प्रकार लिये गये? सीधे 27% कैसे निश्चित कर दिया गया? सरकार से आशा की जाती है कि आरक्षण की समग्रता को ध्यान रखे जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों, भूतपूर्व सेवारत विस्थापितों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के लोग भी सम्मिलित हैं। इन सब का आरक्षण यदि मण्डल द्वारा बताये गये 27% में जोड़ दिया जाये तो यह 59% से ऊपर संख्या चली जायेगी। शेष प्रतिशत इतना कम रह जायेगा कि युवक व छात्र जो इनसे सम्बद्ध हैं, आन्दोलन के लिए बाध्य होंगे क्यों कि यह आरक्षण नौकरियों के लिए मार्ग अवरुद्ध करता है।

11. मण्डल आयोग की रिपोर्ट 10 वर्ष तक बिना कार्रवाई किये पड़ी रही। जब कभी ऐसी रिपोर्ट को लम्बे समय के पश्चात् निकाला जाता है तो उसे बदली हुई आवश्यकताओं के अनुरूप जाँच कर ठीक किया जाना चाहिए। यह एक निश्चित समय के भीतर किया जाता है। जिस सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की उसने इस प्रक्रिया का पालन करने की चिन्ता नहीं की और परिणाम यह हुआ कि आयोग की रिपोर्ट की कमियों ने आन्दोलन और हिंसा को जन्म दिया।

12. संविधान में दिया गया है कि एक वर्ग को पिछड़े (वर्ग) श्रेणी में नहीं रखा जा सकता अगर राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में उसका उचित व यथेष्ट प्रतिनिधित्व हो। यह कार्य कोई सरल कार्य नहीं है। क्योंकि सम्बन्धित आँकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, सिवाय इसके कि कुछ राज्यों में पिछड़े वर्ग की सूची के आधार पर कुछ आँकड़े एकत्रिक कर लिए जायें।

13. मण्डल आयोग की रिपार्ट के लागू करने का एक परिणाम यह होगा कि क्योंकि रिपोर्ट 27% आरक्षण में से प्रत्येक पिछड़ी जाति का भाग पृथक् रूप से नहीं दर्शाती है, इसलिए 27% के आरक्षण में पिछड़ी जातियों में से भी प्रभावशाली जातियाँ ही छाई

Scanned with CamScanner

रहेंगी। इन प्रभावशाली जातियों से भी कुछ परिवार ही अपने अन्य अभागे भाइयों की कीमत पर लाभ उठाते हुए समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए पूर्व में बनाई गई आरक्षण नीतियों का भी यही अनुभव है। मण्डल आयोग की रिपोर्ट में एक परिवार के सदस्यों की सीमा नहीं निर्धारित की गई है जिन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त होना है। आरक्षण का लाभ उठाने से वंचित रखने के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समृद्ध सदस्यों के लिए कोई आर्थिक आधार निश्चित नहीं किया गया है।

अब प्रश्न है कि क्या प्रत्येक वर्गीकृत पिछड़े वर्ग से यथेष्ट (Adequate) प्रतिनिधित्व लिया जाना है? यदि पिछड़ी जातियों को समग्रता रूप में लिया जाय और यह पता चले कि कुछ समूहों ने यथेष्ट प्रतिनिधित्व से अधिक एकाधिकार जमा लिया है, तो क्या यह सामाजिक न्याय होगा? यदि पृथक् समूहों को लिया जाये और चयन का आधार जाति हो तो क्या यह सम्भव है कि 3500 जातियों के लिए चक्रीय सूची बनाई जाये जो कि सेवाओं में प्रतिनिधित्व को लगातार घुमाता ही रहे? सामाजिक न्याय की बात करने से पूर्व इन सभी का समाधान आवश्यक है।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध दिए गए कुछ और तर्क इस प्रकार हैं–

1. इसके क्रियान्वयन में अति शीघ्रता की गई। लोगों को तैयार किया जाना चाहिए था क्योंकि कुछ वर्गों को उपेक्षा की भावना का अनुभव करने की सम्भावना तो थी ही, यहाँ तक कि पार्टी के भीतर भी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की गई थी। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के अन्य संघटकों को भी जनता दल द्वारा अन्धकार में रखा गया था। इस प्रकार रिपोर्ट का क्रियान्वयन बिना आम सहमति के किया गया था।

2. पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कोटा (निर्धारित मात्रा) रखते समय आर्थिक स्थिति की सीमा निश्चित नहीं की गई थी। एक निश्चित आय से ऊपर एक परिवार को आरक्षण का अधिकारी नहीं माना जाना चाहिए था।

3. पिछड़े वर्गों को सुविधा एवं छूट के नाम पर प्रशासनिक कुशलता खतरे में पड़ गई। संविधान की भी मान्यता यही है कि आरक्षण ज़ारी रहना चाहिए, किन्तु प्रशासनिक क्षमता को गिरा कर नहीं।

4. आरक्षण केवल एक पीढ़ी के लिए मान्य होना चाहिए था।

इस प्रकार कल्पना, भ्रान्तियों, उपयुक्त ऑकड़ों का अभाव सूचना तंत्र में त्रुटियों मनमानापन, आत्मपरकता, विसंगतियों (Anomalies) और उच्च स्तरीय सामान्यीकरण आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। आन्दोलन की तीव्रता के झटके के कारण, छात्रों द्वारा आत्मदाह के मामलों के कारण तथा राजनैतिक दलों की, प्रेस तथा जनता की मण्डल आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध आलोचना के कारण वी. पी सिंह सरकार ने संकट को टालने की दृष्टि से कुछ प्रस्ताव रखे। यह घोषणा की गई कि (अक्टूबर 1990) आरक्षण शिक्षा, विज्ञान, रक्षा तथा उच्चतम स्थानों के लिए लागू नहीं होगा। रिपोर्ट उन राज्यों में भी लागू नहीं होनी थी जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वी बंगाल।

भारत की युवा पीढ़ी को यह समझना है कि आरक्षण नीति ही केवल संघर्षनीय नहीं है। यथार्थ समस्या है राजनैतिक अभिजन के स्वार्थपूर्ण, भ्रष्ट और अमान्य विचारों की जिन्होंने समूचे समाज को ही भ्रष्ट कर दिया है, देश को खस्ता हाल स्थिति में लाकर खड़े कर दिया है। मण्डल आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध तथा आरक्षण नीति के विरुद्ध संघर्ष कर